हिन्दुस्तान 04
पटना • गुरुवार • 21 जून 2018

रेरा ने सभी बिल्डरों से 26 तक एजेंटों की सूची मांगी

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने सभी बिल्डरों से एजेंटों की सूची मांगी है। संस्था ने कहा है कि 26 जून तक सभी बिल्डर और डेवलपर उन एजेंटों की सूची उपलब्ध करा दें, जिनके माध्यम से वह ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। साथ ही रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले अन्य एजेंटों को भी जल्द निबंधन कराने को कहा है।

रेरा ने बुधवार को आदेश में साफ कहा है कि जमीन का कारोबार करने वाले एजेंटों को भी रेरा में निबंधन कराना होगा। अपार्टमेंट बनानेवाले बिल्डर व डेवलपर के साथ ऐसे एजेंटों को भी निबंधन जरूरी है, जो बने हुए फ्लैट की ब्रिकी करते हैं। रेरा ने इन्हें रीयल एस्टेट एजेंट का नाम दिया है।

रेरा के प्रावधान के अनुसार हर वह व्यक्ति जो पांच कट्ठा से अधिक जमीन की बिक्री करता है, उसे निबंधन कराना होगा। अगर प्लॉट पांच कट्ठे का ही हो और उसमें पांच व्यक्ति को एक-एक कट्ठा जमीन बेची गई, तब भी कारोबारी निबंधन के दायरे में आएंगे। बड़ा प्लॉट खरीदकर या एग्रीमेंट कराकर उसकी प्लॉटिंग करने वाले इसके दायरे में हैं ही। रेरा ने ऐसे रीयल एस्टेट एजेंटों के लिए फाइन का भी प्रवधान किया है।